तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की में जारी हुई
12.1.18	वकील वादीगण अनुपस्थित / पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया, कि सतत वाद लम्बे समय से प्रतिवादी की लापरवाही हेतु विचाराधीन चल रहा है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अंतिम बहस तामील पेश नहीं किया गया है और आदेशिका Dated 25.10.17 को भी अन्तिम अवसर दिया गया था। उसके बाद भी दो और अवसर दिये गये थे लेकिन वकील वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही आप हाजिर हुए हैं इससे प्रतीत होता है, कि वकील वादी प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। न्यायालय समय की समाप्ति तक पुकार 2 समय में तीन बार अलग 2 बार आवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादीगण में से कोई हाजिर नहीं हुआ है। लिहाजा, वादीगण का वाद अनुपस्थिति व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

Scanned by CamScanner